IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 6, June 2022

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.118

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106074|

लड़कियों की विवाह आयु 21 वर्ष करने के सामाजिक प्रभाव: एक विश्लेषण

Dr. Mainpal

Assistant Professor, Sociology, Dr. B. R. A. Government College Sriganganagar, Rajasthan, India

सार

लड़कियों के विवाह की आयु 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही सामाजिक सुधार की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया गया। ऐसे किसी फैसले की उम्मीद तभी बढ़ गई थी, जब प्रधानमंत्री ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। इस फैसले पर अमल के साथ ही महिलाओं और पुरुषों, दोनों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष हो जाएगी। यह लैंगिक समानता को तो सुदृढ़ करेगा ही, लड़कियों को पढ़ने-लिखने के अधिक अवसर भी प्रदान करेगा। इसके नतीजे में वे कहीं अधिक आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी करने और नौकरी करने में भी समर्थ होंगी। इसके अलावा इस कदम से मातृ मृत्यु दर कम करने और कुपोषण की समस्या पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। यह पहल बाल विवाह की कुप्रथा पर भी चोट करने में सक्षम होनी चाहिए। स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 21 वर्ष करने के फैसले से सामाजिक लाभ भी मिलेंगे और आर्थिक भी। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि संबंधित विधेयक को संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा, बल्कि यह भी है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम में बदलाव के साथ पर्सनल कानूनों में संशोधन की संभावनाएं भी टटोली जाएंगी। ऐसा इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं कि कोई तबका अपनी धार्मिक मान्यताओं अथवा अपने पर्सनल कानूनों के नाम पर सामाजिक सुधार की इस पहल से बचा रहे। इसकी सुविधा किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा यह धारणा खंडित ही होगी कि लोकतंत्र में सभी एक जैसे कानूनों से संचालित होते हैं। चूंकि सामाजिक सुधार के इस कदम का विरोध भी हो सकता है, इसलिए सरकार को उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

परिचय

यह शुभ संकेत नहीं कि कुछ धार्मिक नेताओं की ओर से सामाजिक सुधार की इस पहल को लेकर असहमति प्रकट की जा रही है। वास्तव में ऐसा हमेशा होता है। जब भी सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं, तब कोई न कोई समूह या संगठन उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, लेकिन उनकी वैसी ही अनदेखी की जानी चाहिए, जैसे अतीत में की गई। आम तौर पर सरकारें सामाजिक सुधार की दिशा में मुश्किल से ही कोई पहल करती हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जो सुधार लंबित हैं, उनकी दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष करने की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाए, क्योंकि इस काम में पहले ही बहुत देर हो चुकी है।[1,2]

Task Force ने ही केन्द्र सरकार को इस कानून में बदलाव की सिफारिश की थी. टास्क फोर्स ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की आदर्श उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. इससे ना सिर्फ़ महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिखेगा बल्कि इस फैसले के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी बहुत शक्तिशाली होंगे. हालांकि इस फैसले के पीछे कुछ और वजह भी हैं. जिसे आप 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं.

इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में लड़कियों के विवाह करने की औसत उम्र 21 वर्ष 2 महीने पाई गई है. यानी 10 साल पहले जो जनगणना हुई थी, वो ये कहती है कि भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र भले 18 वर्ष हो लेकिन वो शादी 21 वर्ष की उम्र में ही कर रही हैं. हालांकि शहरी और ग्रामीण इलाक़ों में इसमें थोड़ा अंतर ज़रूर है. ग्रामीण इलाक़ों में लड़कियों के विवाह की औसत उम्र 20 वर्ष 7 महीने है. जबकि शहरी इलाक़ों में ये उम्र 22 वर्ष 7 महीने है. यानी लगभग 23 साल के आसपास है. अगर लड़कों की बात करें तो कानूनन लड़के 21 वर्ष की उम्र में विवाह कर सकते हैं. लेकिन देश में लड़कों के शादी करने की औसत उम्र साढ़े 23 साल है. यह लड़कियों से दो साल ज्यादा है.

अब यहां सोच ये है कि अगर सरकार ने विवाह की न्यूनतम उम्र (Girls Marriage Age) को बढ़ाया तो इससे लोगों की सोच में बदलाव आएगा. इससे जो परिवार लड़की की 18 साल उम्र होते ही उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे.यहां दो और

e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106074|

बातें समझने वाली है. पहली ये कि भारत में हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के सिविल मामलों के लिए तो अलग से कानून है. ऐसा इंतजाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने खुद किया था. वहीं इस्लाम और ईसाई धर्म के सिविल मामलों में आज भी उनके Personal Laws ही चलते हैं.सिविल मामलों से हमारा मतलब ये है कि उस धर्म में सम्पत्ति के बंटवारे, विवाह और तलाक को लेकर क्या कानून माना जाएगा. इस हिसाब से सरकार ने जो आज फैसला लिया है वो हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों पर तो लागू होगा. लेकिन इस्लाम धर्म में Muslim Personal Law Board ही प्रभावी रहेगा, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की के विवाह को वैध माना गया है. इसलिए इस अंतर को भी आपको समझना होगा.[3,4]

लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इस फैसले का देश और समाज पर क्या प्रभाव होगा.

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1929) की कमियों को दूर करने के लिए लागू किया गया था।केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया है।बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य-5 (एसडीजी-5) का हिस्सा है।

हमारे पास जो मौजूदा कानून है कम उम्र में शादी रोकने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन उन कानूनों का पालन उतना नहीं हो रहा। कई बार माता-पिता जब कम उम्र में शादी कराते हैं तो उस कानून का पालन नहीं होता। जब लड़की घर से भाग जाती है तो उसी कानून का कड़ाई से पालन होता है। गरीबी ही इस समस्या की मूल वजह है। ऐसे में सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचा कर समस्या की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कोई विकल्प नहीं होने की वजह से ही गरीब परिवार बाल विवाह का विकल्प चुन रहे हैं।

बालविवाह केवल भारत मैं ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में होते आएं हैं और समूचे विश्व में भारत का बालविवाह में दूसरा स्थान हैं। सम्पूर्ण भारत मैं विश्व के 20 प्रतिसतबालविवाह होते हैं और समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 21 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता हैं। भारत में, बाल विवाह केरल राज्य, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, में अब भी प्रचलन में है। यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात निधि) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते है। आँकड़ो के अनुसार, बिहार में सबसे अधिक 68% बाल विवाह की घटनाएं होती है जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9% बाल विवाह होते है।[5,6]

यह सोच कर बड़ा अजीब लगता हैं कि वह भारत जो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा हैं उसमें आज भी एक ऐसी कुरीति जिन्दा हैं। एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिपक्व लोगो को जो आपस में बिलकुल अनजान हैं उन्हें जबरन ज़िन्दगी भर साथ रहने के एक बंधन में बांध दिया जाता हैं और वे दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी ज़िन्दगी भर इस कुरीति से उनके ऊपर हुए अत्याचार से उभर नहीं पाते हैं और बाद में स्तिथियाँ बिलकुल खराब हो जाती हैं और नतीजे तलाक और मृत्यु तक पहुच जाते हैं।

बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021

- बिल महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में संशोधन करता है। इसके अतिरिक्त किसी कानून, रूढ़ि या प्रथा से विरोध होने की स्थिति में यह एक्ट ही लागू होगा।
- 2006 के एक्ट के अंतर्गत, अगर किसी व्यक्ति का विवाह न्यूनतम आयु से कम आयु में हुआ है तो वह वयस्क होने के बाद दो वर्षों के भीतर (यानी 20 वर्ष का पूरा होने से पहले) विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है। बिल इस अवधि को दो वर्ष से पांच वर्ष करता है (यानी 23 वर्ष का पूरा होने से पहले)।

चर्चा

पहली बात इससे उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. अभी कोई लड़की शुरुआत से बिना फेल हुए सभी कक्षाओं में पास होती है तो वो 18 साल तक 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर लेती है. यहां चुनौती ये है कि इसके बाद उसका विवाह करा दिया जाता है और वो आगे की शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दे पाती. इस फैसले के बाद ऐसा नहीं होगा. एक अनुमान के मुताबिक़ आने वाले कुछ वर्षों में अभी की तुलना में 5 से 7 प्रतिशत तक ज्यादा लड़कियां Graduation तक की पढ़ाई पूरी कर पाएंगी.ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत में हर 10 में से 9 लड़कियों को उनके सुसराल में आगे की शिक्षा हासिल करने का मौका ही नहीं मिलता. जबकि इनमें से 37 प्रतिशत लड़कियां ऐसी होती हैं, जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी होती हैं. वे आगे पढ़ें तो काफ़ी बदलाव ला सकती हैं. दूसरी बात- महिला शिक्षित होंगी तो देश में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा. कहा जाता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर

e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106074|

सकती है. अमेरिका में हुए एक सर्वे में पता चला था कि जो महिलाएं शिक्षित होती हैं, उनके बच्चे विज्ञान और गणित जैसे मुश्किल विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ज्यादा कुशल होते हैं.[7,8]

तीसरा Point भी शिक्षा से ही जुड़ा है. महिलाएं अगर स्कूल के बाद भी पढ़ाई जारी रखती हैं. या मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करती हैं तो इससे वो किसी ना किसी क्षेत्र में रोज़गार के लिए तैयार हो जाएंगी. इससे देश की Labour Force में यानी कामगारों की संख्या में उनकी भागीदारी बढ़ेगी.

- इसके अलावा 21 वर्ष की उम्र (Girls Marriage Age) में विवाह करने से महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मृत्यु की दर कम हो जाएगी. यानी इस फैसले का असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा.

- इस फैसले का भारत के समाज पर भी गहरा असर पड़ेगा. लड़कियां अगर पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी तो इससे उनके प्रति रुढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा. महिलाओं की ज़िम्मेदारी घर की रसोई और बच्चों के पालन पोषण तक सीमित नहीं मानी जाएगी.

- विवाह के फैसलों में लड़कियों की राय को भी ज्यादा महत्व मिलेगा. जैसा कि अभी बहुत कम मामलों में होता है. अभी लड़की पढ़ी लिखी होती है तो परिवार किसी भी लड़के से शादी कराने से पहले एक बार उसकी सहमति ज़रूर लेता है. लेकिन कम शिक्षित लड़कियों से उनकी राय नहीं पूछी जाती.

- कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और NGOs का मानना है कि इसका जनसंख्या पर भी असर होगा क्योंकि शिक्षित महिलाओं का रुझान हमेशा से कम बच्चों की तरफ़ रहा है. इसलिए ये Point भी बहुत महत्वपूर्ण है.

भारत में अब लड़की और लड़कियों के विवाह की उम्र (Girls Marriage Age) एक समान हो गई है और ये उम्र है 21 साल. हालांकि पहले ये परंपरा नहीं थी. हर दौर में पुरुषों के विवाह की उम्र महिलाओं से औसतन दो से तीन साल ज्यादा ही रखी गई है. इसके पीछे दो कारण दिए जाते हैं और ये दोनों कारण सामाजिक हैं.

यह प्रथा भारत में शुरू से नहीं थी। इसकी जानकारी हमें आर्यो के आने के बाद देखने को मिलती है। भारतीय बाल विवाह को लड़कियों को विदेशी शासकों से बलात्कार और अपहरण से बचाने के लिये एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाल विवाह को शुरु करने का एक और कारण था कि बड़े बुजुर्गों को अपने पौतो को देखने की चाह अधिक होती थी इसलिये वो कम आयु में ही बच्चों की शादी कर देते थे जिससे कि मरने से पहले वो अपने पौत्रों के साथ कुछ समय बिता सकें।[9,10]

बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021

- विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष किया जा रहा है जो वयस्कता की न्यूनतम आयु से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय यह कह चुका है कि वयस्कों के बीच विवाह एक मौलिक अधिकार है। यहां प्रश्न उठता है कि 18 और 21 वर्ष के बीच के लोगों को शादी पर रोक लगाना, क्या उनके विवाह करने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध है।
- 20-24 वर्ष की करीब एक चौथाई महिलाओं का विवाह 21 वर्ष से कम आयु में कर दिया जाता है, इसके बावजूद कि 1978 से विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। मौजूदा कानून की सीमित सफलता से यह प्रश्न उठता है कि न्यूनतम आयु बढ़ाने से क्या बाल विवाह के मामलों को कम किया जा सकेगा।[9]

परिणाम

बालविवाह के केवल दुस्परिणाम ही होते हैं जीनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि | शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पता हैं

और वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वेहन नहीं कर पाते हैं और इनसे एच.आई.वि. जेसे यौन संक्रमित रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता हैं।

भारत में बालविवाह होने के कई कारण हैं जैसे-

1. लड़की की शादी को माता-पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना |

e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106074|

2. शिक्षा का अभाव |
3. रूढ़िवादिता का होना |
4. अन्धविश्वास |
5. निम्न आर्थिक स्थिति |

समाज में ये धारणा काफ़ी मजबूत है कि शादी का रिश्ता पुरुषों के हिसाब से ज्यादा चलता है. ऐसे में अगर किसी पुरुष की उम्र उसकी पत्नी से ज्यादा हो तो वो खुद को बड़ा भी महसूस करता है और इस रिश्ते में अपने प्रभुत्व को भी ज्यादा पाता है. इसके अलावा भारत समेत एशिया के दूसरे देशों में ज्यादा उम्र या समान उम्र की लड़की से शादी करने को दुर्भावना से देखा जाता है. ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जो ज्यादा उम्र की महिलाओं से शादी करते हैं. उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला भी सामने आया था. वहां एक व्यक्ति ने अपने 6 साल बड़ी महिला से शादी (Girls Marriage Age) की तो उसके दोस्त उसका ये कहकर मजाक उड़ाने लगे थे कि उससे पहले उसकी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी. यानी महिला की सुंदरता भी इसमें एक बड़ा पहलू है.

हालांकि कुछ उदाहरणों से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर पुरुष और महिला सशक्त हों और प्रगतिशील हों तो उनके लिए उम्र ज्यादा मायने नहीं रखती. जैसे अभी 33 वर्षीय अभिनेता विक्की कौशल ने पांच साल बढ़ी कैटरीना कैफ से शादी की है. इसी तरह अमेरिका के सिंगर निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा से 10 साल छोटे हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने से 6 साल बड़ी अंजली तेंदुलकर से विवाह किया था. फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति Emmanuel Macron अपनी पत्नी से 25 साल छोटे हैं. वो 43 साल के हैं और उनकी पत्नी 68 वर्ष की हैं.[10]

आर्थिक जिम्मेदारियां- अधिकतर मामलों में परिवार के पालन पोषण की ज़िम्मेदारी पुरुषों की होती है. इसलिए ये माना जाता है कि स्कूल की पढ़ाई के बाद लड़का बाहर जाकर कोई काम सीखेगा या आगे की पढ़ाई करेगा ताकि उसका रोज़गार पक्का हो सके.

आपने भी सुना होगा कि जब शादी (Girls Marriage Age) के किसी रिश्ते की बात होती है तो लड़की के परिवार वाले सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं कि लड़का, घर कैसे चलाएगा? मतलब वो करता क्या है, जबकि लड़के वाले, लड़कियों से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते. लड़कियों से ये पूछा जाता है कि क्या वो खाना बना लेती हैं और आज कल के जमाने में कोई लड़की नौकरी करती है तो उससे ये कहा जाता है कि वो नौकरी के साथ घर को मैनेज कर लेगी? एक चीज़ ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि उम्र में छोटी लड़की और कम पढ़ी-लिखी लड़की को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हो. उसे जैसा कहो वो वैसा करेगी. यानी पुरुष का प्रभुत्व उस पर बना रहता है. केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि मार्च 2020 से जून 2020 के बीच पूर्णबंदी के पहले चार महीनों में समग्र भारत में बाल विवाह के कुल 5,214 मामले दर्ज हुए थे। महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट ने गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों खासतौर पर लड़कियों का विवाह जल्द-से-जल्द करने के लिये मजबूर कर दिया। इसके अलावा, पाया गया है कि कम आयु की लड़कियों के लिए लड़कों की तुलना में बाल विवाह का खतरा अधिक होता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाता है।सरकारी एजंसियों का ही विश्लेषण है कि यदि किसी बच्चे को 15 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ना पड़ता है तो कम उम्र में उसकी शादी होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। भारत की कानून व्यवस्था अभी भी लड़कियों और महिलाओं के लिये एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण कई माता-पिता कम उम्र में ही अपनी लड़की की शादी करवा देते हैं। लड़कियों को प्राय: सीमित आर्थिक भूमिका में देखा जाता है।

स्वतंत्र भारत में भी सरकार द्वारा भी इसे रोकने के कही प्रयत्न किये गए और कही क़ानून बनाये गए जिस से कुछ हद तक इनमे सुधार आया परन्तु ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। सरकार द्वारा कुछ क़ानून बनाये गए हैं जैसे बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो अस्तित्व में हैं। ये अधिनियम बाल विवाह को आंशिक रूप से सीमित करने के स्थान पर इसे सख्ती से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के अन्तर्गत, बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के दो साल के अन्दर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते है। किन्तु ये कानून मुस्लिमों पर लागू नहीं होता जो इस कानून का सबसे बड़ी कमी है। [8]

निष्कर्ष

नए प्रस्ताव को लेकर जया जेटली की अध्यक्षता में बने नीति आयोग के टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। वीके पाल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2020 में दी थी।

e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106074|

टास्क फोर्स का गठन 'मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों' में सुधार के लिए किया गया था। टास्क फोर्स ने यह भी सिफारिश की कि महिलाओं की कानूनी शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन- जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। शादी में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है।

नीति आयोग के टास्क फोर्स ने यूनिसेफ के एक आंकड़े के हवाले से कहा है कि भारत में हर साल 15 लाख के करीब लड़कियों की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में होती है। लगभग 16 फीसद लड़कियां शादीशुदा हैं। समिति को यह देखना था कि शादी और मातृत्व की उम्र का मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य और अलग-अलग स्वास्थ्य सूचकांक जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, प्रजनन दर और शिशु लैंगिंक अनुपात आदि से कैसा और कितना संबंध है। केंद्र सरकार के ताजा फैसले के बाद यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कानून में संशोधन से बाल विवाह पर अंकुश लगेगा? खासकर कोरोना महामारी के दौरान तो बाल विवाह की तादाद और बढ़ी। वर्ष 2011 की जनगणना में यह तथ्य सामने आया था कि युवतियों के बाल विवाह के मामले में बंगाल सबसे आगे है। राज्य में यह औसत 7.8 फीसद था, जो राष्ट्रीय औसत (3.7 फीसद) के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा था। शोध के मुताबिक, 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों में मातृ मृत्यु का जोखिम सबसे अधिक रहता है। इसके अलावा बाल वधुओं पर हृदयाघात, मधुमेह, कैंसर आदि का खतरा 23 फीसद अधिक होता है। साथ ही वे मानसिक विकारों के प्रति भी काफी संवेदनशील होती हैं।[9]

बालविवाह रोकने हेतु कुछ उपाय हो सकते हैं जैसे-

1. समाज में जागरूकता फैलाना |
2. मीडिया इसे रोकने में प्रमुख भागीदारी निभा सकती हैं।
3. शिक्षा का प्रसार |
4. ग़रीबी का उन्मूलन |
5. जहाँ मीडिया का प्रसार ना हो सके वह नुक्कड़ नाटको का आयोजन करना चाहिए। [10]

संदर्भ

1) बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (अंग्रेजी में)
2) बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी (विकासपीडिया)
3) बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी
4) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 (एनएफएचएस-5) के अनुसार, 20 और 24 वर्ष की 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है।
5) इन आंकड़ों में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है, जोकि एनएफएचएस-3 (2005-06) में 47% से गिरकर एनएफएचएस-4 (2015-16) में 27% और हाल के सर्वे में 23% हो गए हैं।
6) 1929 में भारत में बाल विवाह निरोध एक्ट, 1929 के जरिए बाल विवाह की प्रथा को पहली बार कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया। 1929 के एक्ट के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध था। इस एक्ट को 1978 में संशोधित किया गया जिसके तहत लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष किया गया। 1929 के एक्ट का स्थान लेने वाले बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में न्यूनतम आयु की सीमा वही थी। बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। इस बिल को 21 दिसंबर, 2021 को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्टैंडिंग कमिटी को भेज दिया गया।
7) National Family Health Survey – 5 (2019-21), Ministry of Health and Family Welfare.
8) National Health Family Survey – 3 (2005-06), Ministry of Health and Family Survey.
9) National Family Health Survey – 4, (2015-16), Ministry of Health and Family Survey.
10) Consultation Paper on Reforms of Family Law, Law Commission of India, August 31, 2018.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.118

doi cross ref

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

Scan to save the contact details